न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 47 / 2018 **दायर दिनांकः 13.09.2018**

उनवान

1. रवि कुमार उर्फ छोटू उम्र 48 वर्ष पुत्र श्री शंकरलाल जाति मीणा निवासी मुसई गुजरान व पाड़लिया तहसील अटरू जिला बारां हाल निवासी म0नं0 2—ए—19 संजय गांधी नगर कोटा जिला कोटा (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1. दुर्गालाल उम्र 70 वर्ष पुत्र श्री शंकरलाल जाति मीणा
2. परमानन्द उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री शंकरलाल जाति मीणा निवासी पाडलिया तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट.

उपस्थिति :—
प्रार्थीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर
अप्रार्थीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्र प्रकाश योगी

निर्णय

दिनांक— 16 / 02 / 2023

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्षकारान उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी ने उपरोक्त उनवान का वाद माननीय न्यायालय मे पेश कर दिया है, जो ठोस तथ्यो पर आधारित है जिसमे प्रार्थी को कामयाबी की पूरी आशा है। ग्राम मुसई गुजरान तहसील अटरू जिला बारां में खसरा नं0 145 रकबा 0.65 है0, खसरा नं0 154 रकबा 0.83 है० कुल 2 किता कुल रकबा 1.48 है0 भूमि स्थित है जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में शंकरलाल पुत्र श्री भैरूलाल मीणा के नाम दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम पाडलिया तहसील अटरू जिला बारा में खसरा नं0 120 रकबा 1.11 है०, खसरा नं0 124 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 410 रकबा 0.29 है0, खसरा नं0 411 रकबा 0.42 है०, खसरा नं0 412 रकबा 0.12 है0 कुल 5 किता कुल रकबा 1.99 है0 भूमि

स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में शंकरलाल पुत्र श्री भैरूलाल मीणा जाति मीणा निवासी मुसई गुजरान के नाम दर्ज है। मद नं0 01 व 02 में वर्णित भूमियों को इस प्रार्थना पत्र में आगे विवादग्रस्त भूमियों के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है।

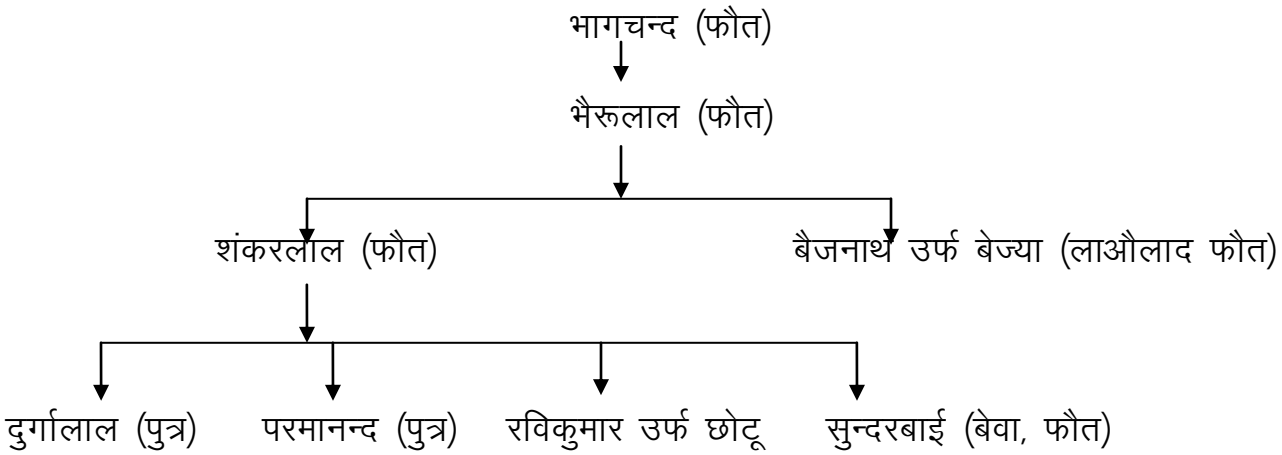

पक्षकारान जाति से मीणा है जो अनुसूचित जनजति की परिभाषा में आते है। जिनपर हिन्दू कानून लागू नही होता तथा कस्टमरी कानून से शासित होते है, इस कारण पुत्रों के होते हुये पुत्री या पत्नि का जायदाद में कोई हिस्सा नही होता है। मद नं0 01 में वर्णित भूमियों का फर्द मिलान क्षेत्रफल पेश किया जा रहा है, जिसमें वादग्रस्त भूमि दिनांक 01.07.1989 से दिनांक 30.06.2009 का मिलान क्षेत्र में साबिक खसरा नं0 76 रकबा 3 बीघा 15 बीस्वा व खसरा नं0 77/893 मि0न0 4 बीघा 14 बीस्वा था। सम्वत् 2013 से 2032 के खसरा सफाई में खसरा नं0 23 व 20 तथा 22 था तथा उस समय यह भूमियां भैरूलाल पुत्र भागचन्द मीणा पाडलिया जो शंकरलाल का पिता था के नाम खातेदारी में दर्ज थी । इसी प्रकार प्रार्थना पत्र की मद नं0 02 में वर्णित भूमियां मिलान क्षेत्रफल दिनांक 01.07.1989 से दिनांक 30.06.2009 में साबिक खसरा नं0 60 मि0नं0 8 बीघा 9 बीस्वा व खसरा नं0 240 रकबा 5 बीघा 3 बीस्वा के रूप में दर्ज थी तथा सम्वत् 2013 से 2033 की खसरा सफाई में पाड़लिया की उपरोक्त भूमियों के साबिक खसरा नं0 220 व 18, 52 व 53 थे तथा उस समय यह भूमि भैरूलाल पुत्र भागचन्द मीणा निवासी मुसई गुजरान के नाम दर्ज थी जो शंकरलाल का पिता था के नाम खातेदारी में दर्ज थी। भैरूलाल पुत्र श्री भागचन्द मीणा के फौत होने पर मुसई गुजरान का नामांतरण इंतकाल नं0 95 दिनांक 23.03.1973 को खोला गया जिसमें भैरूलाल के बजाय शंकर, बेज्या व केसर बाई के नाम खोला गया तथा इसी प्रकार ग्राम पाड़लिया तहसील अटरू की भूमियों का नामांतरण भी 23.03.1973 को इंतकाल नं0 40 खोला गया, जिसमें वादग्रस्त

भूमियां शंकरलाल व बेज्या के नाम तस्दीक किया गया तथा बेज्या के फौत होने पर इंतकाल नं० 548 दिनांक 07.06.2006 को खोला गया जो भी शंकरलाल के नाम खोला गया। इस प्रकार वादग्रस्त भूमियां शंकरलाल की स्वअर्जित नही है तथा पुश्तैनी भूमियां है जो उसको अपने पिता से विरासत में मिली है, इस कारण इन भूमियों में शंकरलाल के तीनों पुत्र प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 01 व 02 का बराबर–बराबर हिस्सा होता है। शंकरलाल ने अपने तीनों पुत्रों के मध्य झगड़ा न हो इस कारण उसने एक वसीयत दिनांक 22.06.2020 को सुरेश कुमार शर्मा नोटेरी पब्लिक अटरू से प्रमाणित करवायी जिसमें ग्राम मुसई गुजरान की खसरा नं0 145 रकबा 0.65 है0 व खसरा नं0 154 रकबा 0.43 है0 कुल दो किता रकबा 1.48 है0 भूमि की वसीयत प्रार्थी के नाम गवाहों के समक्ष करवायी। जिसमें यह लिख दिया था कि मेरे मरने के बाद इन दोनों खसरा नं० का मालिक मेरा पुत्र रवि कुमार उर्फ छोटू होगा तथा इसके बाद शंकरलाल की मृत्यु हो गई। यह शंकरलाल जी की अन्तिम वसीयत है। अप्रार्थी क्रम 01 ने दिनांक 10.07.2019 को शंकरलाल को बहका फुसलाकर एक दानपत्र एक ग्राम पाड़लिया तहसील अटरू की खसरा नं0 410 रकबा 0.29 है0, खसरा नं0 411 रकबा 0.42 है०, खसरा नं० 412 रकबा 0.12 है0 कुल 3 किता रकबा 0.43 है0 व ग्राम मुसई गुजरान की खसरा नं0 145 रकबा 0.65 है0 व खसरा नं0 154 रकबा 0.83 है0 कुल 2 किता रकबा 1.48 है0 का अपने नाम करवा लिया, जिसमें यह लिखवा दिया कि यह सम्पत्ति मेरी स्वअर्जित है तथा इसपर मेरा कब्जा है जबकि यह भूमियां प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 01 व 02 के शामलाती कब्जे की है तथा तीनों भाईयों का बराबर–बराबर हक है तथा मुसई गुजरान की खसरा नं0 145 व 154 कुल 2 किता रकबा 1.48 है0 प्रार्थी काश्त कर रहा है तथा इसी प्रकार अप्रार्थी क्रम 02 ने भी शंकरलाल को बहका फुसलाकर एक दानपत्र दिनांक 10.07.2019 को ग्राम पाड़लिया की खसरा नं0 120 रकबा 1.11 है0 व खसरा नं० 124 की 0.05 है० कुल 2 किता रकबा 1.16 है0 का दानपत्र शंकरलाल को बहका फुसलाकर अपने नाम लिखवा लिया, उसमें भी परमानन्द ने यह लिखवा लिया कि यह सम्पत्ति शंकरलाल की स्वअर्जित सम्पत्ति है जबकि प्रार्थना पत्र में ऊपर वर्णित किये गये तथ्यों से यह प्रमाणित है कि यह भूमियां शंकरलाल की स्वअर्जित नहीं है व पुश्तैनी भूमियां है जो उसको अपने पिता भैरूलाल से विरासत में मिली है। इस प्रकार दोनों दानपत्र जो दिनांक 10.07.2019 को लिखवाये गये है, प्रार्थी के विरूद्ध शुन्य हो जाते हैं तथा प्रार्थी के पक्ष में की गई वसीयत दिनांक 22.06.2020 के अनुसार भी प्रार्थना पत्र की मद नं0 01 व 02 में वर्णित भूमियों में अपना 1/3 हिस्सा प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है क्योंकि प्रार्थी के पक्ष में जो वसीयत की गई है, उसके अनुसार ग्राम मुसई गुजरान की

खसरा नं0 145 व 154 कुल 2 किता रकबा 1.48 है0 पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है तथा जब अप्रार्थीगण को कब्जा दिया ही नही तो उनके पक्ष में लिखे गये दानपत्र भी स्वतः ही व्यर्थ हो जाते है, क्योंकि दानपत्र में प्रथम शर्त यह है कि दान की जाने वाली सम्पत्ति पर कब्जा दिया जाना आवश्यक है, जबकि आज भी प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है तथा इसी कारण प्रार्थी प्रार्थना पत्र की मद नं० 1 व 2 में वर्णित भूमियों पर अपना 1/3 हिस्सा अपने नाम दर्ज करा पाने का अधिकारी व नालिशी है। वादग्रस्त भूमियों में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है जिसे वह काश्त कर रहा है, किन्तु खाता शामलात होने से अप्रार्थीगण झगड़ा करते है। इस कारण प्रार्थी खाता शामलात न रखकर अपना 1/3 हिस्सा प्रथक दर्ज करवाना चाहता है, इस कारण उसका 1/3 हिस्सा प्रथक दर्ज करके उसका लगान भी जुदागाना कायम किया जावें तथा उसको अपने 1/3 हिस्से पर कब्जा भी दिलवाया जायें। प्रार्थी अपना 1/3 हिस्सा बिना किसी दखल अन्दाजी के काश्त करता चला आ रहा है क्योंकि वादग्रस्त भूमियां अभी भी उसके पिता शंकरलाल के नाम दर्ज चली आ रही है। किन्तु अप्रार्थीगण शुन्य दानपत्र का आधार लेकर प्रार्थी के कब्जे काश्त में मदाखलत करते है तथा जबरन काश्त करने की धमकी दे रहे है। दिनांक 20.11.2021 को उन्होने वादग्रस्त भूमियां काश्त करने की धमकी दी, बमुश्किल प्रार्थी के समझाने से अप्रार्थीगण वापस गये लेकिन ऐलानियां धमकी देकर गये कि आज नही तो कल वह विवादग्रस्त भूमि पर जबरन काश्त करके रहेगें। अतएव प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करा पाने की अधिकारी एवं नालिशी है कि वे विवादित भूमियों पर जबरन कब्जा नही करें तथा विवादित भूमियों को रहन, बेचान या अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करें। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ठोस तथ्यों पर आधारित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण अपने उद्धेश्य मे कामयाब हो गये तथा वह विवादित भूमि पर काबिज हो गये तो प्रार्थी को अपार क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी रूप में संभव नही हो सकेगी एवं प्रार्थी को लम्बी, उलझनपूर्ण एवं खर्चीली मुकदमेबाजी में उलझना पड़ेगा। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा अवलिम्ब पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमियों पर प्रार्थी को शांतिपूर्वक काबिज काश्त बना रहने देवे। इनमें प्रार्थी के कब्जे, काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत तथा भूमियों को रहन, बेचान या अन्य प्रकार से मुन्तकिल न तो स्वयं करे ना ही अपने प्रतिनिधी/स्वजनो/ऐजेन्टों से ऐसा करावे तथा राजस्व

रिकॉर्ड में शंकरलाल का नाम चल रहा है उसकी यथास्थिति बनाये रखें। अन्य न्यायोचित सहायता प्रार्थी को अप्रार्थीगण से दिलाया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी क्रम 1, 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में उक्त उनवाद का वाद पेश करना स्वीकार है, शेष विवरण गलत तथ्यों पर आधारित होने से स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 रिकार्डेड होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 रिकार्डेड होने से स्वीकार है । प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 अस्वीकार है। क्योंकि उक्त आराजी विवादित आराजी नहीं है। प्रार्थना का की मद मे 4 वर्णित सजरा जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 5 जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद नं० 6 राजस्व रिकार्ड के अनुसार स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं० 7 राजस्व रिकार्ड के अनुसार स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 8 जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद नं० 9 अस्वीकार है । प्रार्थना पत्र की मद नं० 10 में वर्णित तथ्य दोनों दान पत्र दिनांक 10–7–2019 को किया जाना स्वीकार है एवं तभी से उक्त आराजी पर दानग्रहिता अप्रार्थी क्रम 1 व 2 काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित वसीयत दिनांक 22–6–2020 अवैधानिक एवं गेर कानूनी होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं० 11 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मंद नं0 12 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 13 अस्वीकार है अपितु कथन है कि सुविधा का संतुलन व न्याय का संतुलन अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के पक्ष में है। प्रार्थना प्रार्थी स्वीकार नहीं है।

विशेष–कथन

उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की मद नं0 10 में वर्णित किया है कि दिनांक 10.07.2019 को ख0नं0 410, 411, 412, 120 व 124 की आराजी का दान पत्र शंकरलाल द्वारा अपने पुत्र दुर्गालाल प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में निष्पादित होना अंकित किया गया है। जिसमें एक दान पत्र 10–7–2019 को ख0नं0 410, 411 व 412 तथा एक दान पत्र 10–7–2019 को खं० नं0 120, 124 को निष्पादित करवाया गया है तब से ही दानगृहिता उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। उसके द्वारा झूठे एवं मनघडन्त तथ्यों पर वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो मैन्टेनेबल नहीं होने से खारिज होने योग्य है । किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज दानपत्र, विक्रयपत्र, गोदनामा, वसीयत आदि को शून्य घोषित किये जाने का अधिकार मात्र सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है।

माननीय न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र व वाद पत्र के सम्बन्ध में कोई क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिये वाद व प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित होने से चलने योग्य नहीं होने से खारिज होने है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि दो दानपत्र दिनांक 10–7–2019 को शून्य घोषित किया जाकर वसीयत अनुसार वाद ग्रस्त भूमियों में खातेदार घोषित किया जाना अंकित किया है। जबकि किसी भी विवादित वसीयत के सम्बन्ध में मात्र सिविल न्यायालय ही वसीयत की वैधनिकता प्रमाणित कर सकता है। माननीय न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र व वाद पत्र के सम्बन्ध में कोई क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। मामला सिविल प्रकृति का होने से माननीय न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र व वाद पत्र के सम्बन्ध में कोई क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं होने से वाद व प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज होने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

3. उभय पक्षकारान की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम पाडलिया की विवादित आराजी कुल किता 5 कुल रकबा 1.99 है0 जिसके साबिक ख0नं0 60 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा व ख0नं0 240 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा थे– भैरूलाल पुत्र भागचन्द मीणा निवासी मुसई गुजरान के खाते दर्ज थी और भैरूलाल की मृत्यु के बाद जरिये फौती इंतकाल संख्या 40 दिनांक 23.03.1973 उनके दोनों पुत्र शंकर लाल एवं बैज्या के खाते दर्ज हुई थी इसी प्रकार ग्राम मुसई गुजारान की आराजी कुल किता 2 कुल रकबा 1.48 है0 इसी साबिक ख0नं0 76 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा व ख0नं0 77/893 मि0 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा थे– भैरूलाल पुत्र भागचन्द मीणा निवासी मुसई गुजरान के खाते दर्ज थी और भैरूलाल की मृत्यु के बाद जरिये फौती इंतकाल संख्या 95 दिनांक 23.03.1973 उनके दोनों पुत्र शंकर लाल व बैज्या एवं बेवा केसरबाई के खाते दर्ज हुई थी। खातेदार शंकरलाल दिनांक 06.07.2020 को फौत हो चुके है। विवादित आराजी मूलतः भागचन्द की थी जो विरासत में भैरूलाल को और फिर शंकरलाल को प्राप्त हुई है। अतः यह प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पैतृक संपत्ति है जिस पर तीनों पुत्रों का समान हक व अधिकार है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा आगे तर्क किया गया कि खातेदार शंकरलाल द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 22.06.2020 को प्रार्थी के पक्ष में ग्राम मुसई गुजरान की आराजी ख0नं0 145 व 154 कुल किता 2 कुल रकबा 1.48 है0 की 100रू के स्टाम्प पेपर पर वसीयत की है जो पब्लिक नोटरी द्वारा प्रमाणित भी है। ग्राम मुसई

गुजरान की यह विवादित आराजी प्रार्थी के कब्जे काश्त में चली आ रही है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा पुनः कथन किया गया कि अप्रार्थीगण ने खातेदार शंकरलाल को बहला फुसलाकर डरा धमकाकर ग्राम पाडलिया की आराजी ख0नं0 410, 411, 412 कुल किता 3 की कुल रकबा 0.43 है0 एवं ग्राम मुसई गुजरान की सम्पूर्ण आराजी कुल किता 2 कुल रकबा 1.48 है0 का अपने अपने पक्ष में दान करा लिया है जो विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण, प्रार्थी के स्वामित्व के कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमदा है। अतः यदि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के स्वामित्व व कब्जे काश्त की विवादित आराजी पर बलपूर्वक कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल किया या विवादित आराजी का रहन, बैचान या अन्य अन्तरण किया तो प्रार्थी को अपनी पैतृक संपत्ति में अपने कानूनी हक व अधिकारों से वंचित रहना पडेगा जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति उठानी पडेगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रार्थी की 1/3 हिस्से व कब्जे की आराजी पर शान्तीपूर्ण कब्जे काश्त मे न स्वयं और न ही अपने प्रतिनिधि के माध्यम से दखल नहीं देवें और न ही रहन बैचान करें।

4. प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में ग्राम मुसई गुजरान के खाता संख्या 439 की जमाबंदी संवत 2072–75 प्रदर्श ए1, ग्राम पाडलिया की जमाबंदी संवत 2072–75 प्रदर्श ए 2, ग्राम मुसई गुजरान का भू प्रबंध विभाग का मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श ए 3, ग्राम पाडलिया का भू प्रबंध विभाग का मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श ए 4, ग्राम मुसई गुजरान के नामान्तरण संख्या 95 की पंजिका प्रदर्श ए 5, ग्राम पाडलिया के नामान्तरण संख्या 40 की पंजिाक प्रदर्श ए 6, शंकरलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श ए 7, वसीयतनामा प्रदर्श ए7ए, दानपत्र प्रदर्श ए 8, दानपत्र ए 9, ग्राम मुसई गुजरान की जमाबंदी संवत 2050–53 प्रदर्श ए 10, ग्राम मुसई गुजरान की भू प्रबंध विभाग की जमाबंदी प्रदर्श 11, ग्राम पाडलिया की जमाबंदी संवत 2060–63 प्रदर्श 12, ग्राम पाडलिया की जमाबंदी संवत 2031–34, 2035–38 व 2039–42 प्रदर्श ए 14 ता 16, ग्राम मुसई गुजरान की जमाबंदी संवत 2066–69 प्रदर्श ए 17, ग्राम मुसई गुजरान की भू प्रबंध विभाग की खसरा सफाई संवत 2013–32 प्रदर्श ए 20, ग्राम मुसई गुजरान की जमाबंदी संवत 2000–03 प्रदश्र ए 21, ग्राम पाडलिया की भू प्रबंध विभाग की खसरा सफाई संवत 2013–32 प्रदर्श ए 22 ता 24 पेश किये गये।

5. अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा उक्त बहस का पूरजोर विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी ने स्वयं स्वीकार किया है कि ग्राम पाडलिया व मुसई गुजरान की विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पैतृक संपत्ति है और पैतृक संपत्ति की वसीयत नहीं की जा सकती है। अप्रार्थीगण के पक्ष में खातेदार मृतक शंकरलाल द्वारा अपने जीवनकाल में ही दिनांक 10.07.2019 को रजि0 दान किया था जबकि प्रार्थी के पक्ष में अपजिंकृत वसीयत दिनांक 22.06.2020 की है। जब खातेदार शंकरलाल ने जुलाई 2019 में अप्रार्थीगण के पक्ष में विवादित आराजी का दानपत्र कर दिया था तो शंकरलाल का विवादित आराजी में कोई स्वामित्व व अधिकार शेष नहीं बचा था। अतः वह दान की गई इस आराजी का कई महिनों बाद यानी जून 2020 में कानूनन वसीयत नहीं कर सकता था। अतः खातेदार शंकरलाल द्वारा प्रार्थी के पक्ष मे की गई वसीयत दिनांक 22.06.2020 प्रारम्भ से ही अवैध व प्रभावशून्य होने से खारिज योग्य है। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि प्रार्थी विगत 15–20 सालों से कोटा रहता है जबकि खातेदार शंकरलाल मुसईगुजरान में अप्रार्थीगण के साथ रहता था। अतः प्रार्थी द्वारा पेश की गई वसीयत कूट रचित हस्ताक्षरों से की गई है। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा पुनः कथन किया गया कि खातेदार शंकरलाल द्वारा वर्ष 2008 में 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर अपनी समस्त अचल संपत्ति का तीनों पुत्रों में बटवारा के लिए पारिवारिक समझौता किया था जो पब्लिक नोटरी से प्रमाणित है और इस समझौते के अनुसार प्रार्थी रवि को कोटा का मकान हिस्से में आया था जबकि अप्रार्थी क्रम 1 को पाडलिया की 13 बीघा भूमि और अप्रार्थी क्रम 2 को शेष 8 बीघा भूमि प्राप्त हुई थी। प्रार्थी व अप्रार्थीगण तभी से उक्त पारिवारिक बटवारे अनुसार अपने अपने हिस्से की संपत्ति पर कब्जारत चले आ रहे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. अप्रार्थीगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में नोटेराईज्ड पारिवारिक बटवारा दिनांक 21.07.2008 एवं दानपत्र दिनांक 10.07.2019 पेश किये गये।

7. उभयपक्षकारान की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम पाडलिया की भू प्रबंध विभाग के खसरा सफाई संवत 2013–32 प्रदर्श ए 22 ता 24, ग्राम मुसई गुजरान की भू प्रबंध विभाग की खसरा सफाई संवत 2013–32 प्रदर्श ए 20 व 21, ग्राम पाडलिया की जमाबंदी संवत 2031–34, 2035–38 व 2039–42 प्रदर्श ए 14 ता 16, ग्राम मुसई गुजरान की

की भू प्रबंध विभाग की जमाबंदी प्रदर्श ए 11 व जमाबंदी संवत 2050–53 प्रदर्श ए 10, ग्राम मुसई गुजरान की भू प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श ए 3 व ग्राम पाडलिया के मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श ए 4, आदि के आधार पर स्पष्ट है कि ग्राम पाडलिया व मुसई गुजरान की विवादित आराजी भैरया उर्फ भैरूलाल पुत्र भागचन्द के खाते दर्ज थी। ग्राम मुसई गुजरान के नामान्तरण पंजिका के नामान्तरण संख्या 95 दिनांक 23.03.1973 प्रदर्श ए 5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि भैरूलाल की मृत्यु के बाद फौती इंतकाल संख्या 95 तस्दीक हुआ। जिसमें अंकित नोट के अनुसार मृतक भैरूलाल के तीन वारीसान –दो पुत्र शंकरलाल व बैज्या व एक पुत्री केसरबाई जिवित थी जिसमें पुत्री केसरबाई अपना हिस्सा व हक नहीं लेना चाहती है अतः नामान्तरण दोनों पुत्रों शंकर व बैज्या के बांटबराबर तस्दीक हुआ। इसी प्रकार ग्राम पाडलिया की नामान्तरण पजिंका के नामान्तरण संख्या 40 दिनांक 23.03.1973 प्रदर्श ए 6 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक भैरूलाल के तीन वारीसान –दो पुत्र शंकरलाल व बैज्या व एक पुत्री केसरबाई जिवित थी जिसमें पुत्री केसरबाई अपना हिस्सा व हक नहीं लेना चाहती है अतः नामान्तरण दोनों पुत्रों शंकर व बैज्या के बांटबराबर तस्दीक हुआ। इस प्रकार दोनों नामान्तरणों के अवलोकन से यह साबित है कि भेरूलाल की मृत्यु के बाद उनकी आराजी दोनों पुत्रों में 1/2–1/2 खाते दर्ज हुई।

ग्राम पाडलिया की जमाबंदी संवत 2060–63 प्रदर्श ए 12 एवं ग्राम मुसई गुजरान की जमाबंदी संवत 2060–63 प्रदर्श ए 18 में विवादित आराजी में सहखातेदार बैज्या हिस्सा 1/2 की जगह सम्पूर्ण हिस्सा शंकरलाल पुत्र भैरूलाल के खाते दर्ज हो गया था जो प्रार्थी व अप्रार्थीगण के उस कथन की पुष्टि करता है कि बैज्या पुत्र भैरूलाल के लाऔलाद फौत होने से उनके हिस्से की आराजी विरासत में इनके भाई शंकरलाल के खाते दर्ज हुई थी। अतः यह कथन निर्विवादित है कि सहखातेदार बैज्या पुत्र भैरूलाल के लाऔलाद फौत होने पर जरिये फौती इंतकाल इनका 1/2 हिस्सा विरासत में शंकरलाल के खाते दर्ज हुआ है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह साबित होता है कि हिन्दू लॉ के अनुसार ग्राम पाडलिया की विवादित आराजी कुल किता 5 कुल रकबा 1.99 है0 व ग्राम मुसई गुजरान की आराजी कुल किता 2 कुल रकबा 1.48 है0 में से 1/2 भाग जो शंकरलाल को विरासत में अपने पिता भैरूलाल से प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पैतृक संपत्ति होगी जबकि शेष 1/2 हिस्सा जो शंकरलाल को अपने भाई बैज्या से विरासत में प्राप्त हुआ था–शंकरलाल की स्वअर्जित संपत्ति होगी। अतः खातेदार शंकरलाल विवादित आराजी के 1/2 हिस्सा जो की स्वअर्जित है का दान, रहन, या

बेचान आदि के लिए प्रथम दृष्टया कानूनन सक्षम था लेकिन शेष 1/2 भाग पेतृक संपत्ति में से केवल अपने नोशनल शेयर (1/2 का 1/4) यानी 1/8 का भी रहन, दान या बैचान करने के लिए कानूनन सक्षम था। इस प्रकार खातेदार शंकरलाल अपनी कुल आराजी का 5/8 भाग दान, रहन, या बैचान करने के लिए कानून सक्षम था।

ग्राम पाडलिया की आराजी किता 5 कुल रकबा 1.99 है0 में से कुल किता 3 की 0.83 है0 आराजी अप्रार्थी कम 1 के पक्ष मे जरिये रजि0 दानपत्र दिनांक 10.07.2019 एवं कुल किता 2 का रकबा 1.16 है0 आराजी अप्रार्थी कम 2 के पक्ष में रजि0 दान की है यानी ग्राम पाडलिया की सम्पूर्ण आराजी दान की गई है जबकि शंकरलाल को प्रथम दृष्टया कुल आराजी का 5/8 भाग ही दान करने का हक व अधिकार था। इसी प्रकार ग्राम मुसई गुजरान की आराजी किता 2 कुल रकबा 1.48 है0 सम्पूर्ण आराजी अप्रार्थी कम 1 के पक्ष मे जरिये रजि0 दानपत्र दिनांक 10.07.2019 जबकि शंकरलाल को प्रथम दृष्टया कुल आराजी का 5/8 भाग ही दान करने का हक व अधिकार था। अतः खातेदार शंकरलाल ग्राम मुसई गुजरान व पाडलिया की कुल आराजी में 5/8 हिस्से तक ही दान करने का प्रथम दृष्टया अधिकारी था। शेष 3/8 हिससा आराजी शंकरलाल के तीनों पुत्रों में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार निस्तारित होना चाहिए था। अतः शंकरलाल द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये दानपत्र **कुल आराजी के 5/8 हिस्से तक (सक्षम सिविल न्यायालय से दानपत्र खारिज नहीं होने तक) प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।**

प्रार्थी द्वारा पेश नोटराईज्ड वसीयत नामा दिनांक 22.06.2020 एवं रजि0 दानपत्र दिनांक 10.07.2019 के अवलोकन से यह साबित होता है कि खातेदार शंकरलाल द्वारा पहले अप्राथीगण के पक्ष में सम्पूर्ण आराजी का रजि0 दानपत्र किया गया दानपत्र द्वारा स्वामित्व व कब्जा सौंप दिया गया। इसके कई महिने बाद प्रार्थी के पक्ष में की गई वसीयत कानूनन प्रभावशून्य व अवैध होगी और प्रार्थी द्वारा उक्त रजि0 दानपत्रों को अभी तक सक्षम सिविल न्यायालय से खारिज नही कराया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा पेश नोटेराईज्ड पारिवारिक समझौता दिनांक 21.07.2008 के अवलोकन से जाहिर होता है कि शंकरलाल ने अपने जीवनकाल में ही अपनी अचल संपत्ति का अपने तीनों पुत्रों में बटवारा कर दिया था । यद्यपि उक्त पारिवारिक समझौते पर तीनों पुत्रों में से किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है तथापि इसमें कोटा की संपत्ति प्रार्थी को और मुसई गुजरान व पाडलिया की संपत्ति अप्रार्थीगण को दिये जाने का अंकन है और इसलिए पारिवारिक बटवारा प्रथम दृष्टया कानूनन प्रतित नहीं है । प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित पते के अनुसार प्रार्थी कोटा जबकि

अप्रार्थीगण पाडलिया तहसील अटरू में निवासरत है। **प्रार्थी द्वारा कुल आराजी के कुल 1/3 हिस्से पर अपने कब्जे काश्त का भी कोई दस्तावेज या मौखिक साक्ष्य भी न्यायालय में पेश नहीं किया है। अतः प्रकरण में सुविधा संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है।** उपरोक्त विवेचन से यह भी साबित होता है कि विवादित आराजी के 5/8 हिस्से को अप्रार्थीगण द्वारा रहन बेचान किये जाने से प्रार्थी को कोई क्षति नहीं होगी केवल 3/8 हिस्से तक ही प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो सकेगी।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ग्राम पाडलिया एवं मुसई गुजरान की आराजी के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

::—क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह ग्राम पाडलिया की विवादित आराजी ख0नं0 120 रकबा 1.11 है0, ख0नं0 124 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 410 रकबा 0.29 है0, ख0नं0 411 रकबा 0.42 है0 व ख0नं0 412 रकबा 0.12 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.99 है0 तथा ग्राम मुसई गुजरान की आराजी ख0नं0 145 रकबा 0.65 है0 व ख0नं0 154 रकबा 0.83 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.48 है0 —कुल किता 7 कुल रकबा 3.47 है भूमि के केवल 3/8 हिस्से का कहीं रहन, बेचान, हस्तान्तरण नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां